



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड,

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फैंक्स नं. 0141 2719136)

क्रमांक पं. 6 ()/रा.सू.आ./संस्था/2021/1595

दिनांक

19-04-2021

कार्यालय आदेश

प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 18.04.2021 के अनुसरण में कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 19.04.2021 (सोमवार) से दिनांक 03.05.2021 (सोमवार) प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाडा लागू होने के कारण राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील/परिवादों की सुनवाई आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। द्वितीय अपील/परिवादों की आयोग में सुनवाई की आगामी तिथि से आयोग की वेबसाईट पर सूचना प्रसारित की जावेगी।

उपरोक्त अवधि में राजस्थान राज्य सूचना आयोग का कार्यालय पूर्णतया बन्द रहेगा।

Sd-

(ममता राव)

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त महोदय-द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम
3. प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आयोग की वेबसाईट पर तुरन्त अपलोड करें।
4. गार्ड प्रभारी को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली

Sd-

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर